

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उ०प्र०, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2013

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र०	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, इकरी रोड, सरधना, मेरठ, उ०प्र०	F.No. 1248 OF 2011/59422, दिनांक 13 मार्च, 2012 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2012	मुस्लिम
2	डॉ० रिजवी कॉलेज आफ लॉ करारी कौशाम्बी, उ०प्र०	F.No. 643 & 644 OF 2009, दिनांक 19 मई, 2010 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 18 मई, 2010	मुस्लिम

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से आच्छादित पाठ्यक्रमां हेतु उपर्युक्त क्रमांक-1 से 2 में अंकित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थान "ट्रीट" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)  
उप सचिव।

संख्या-1261(1)/सत्तर-6-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट न०-4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उनके पत्रांक-सम्बद्धता/1206 दिनांक 04-07-2013 के क्रम में।
- 4- कुलसचिव, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 5- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ/इलाहाबाद।
- 6- उच्च शिक्षा अनुभाग-2/3।
- 7- प्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, इकरी रोड, सरधना, मेरठ, उ०प्र०।
- 8- प्रबन्धक, डॉ० रिजवी कॉलेज आफ लॉ, करारी कौशाम्बी, उ०प्र०।
- 9- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छटा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड फाइल।

Meh Zafar  
Manager  
MAJEDIA SOCIETY  
Sardhana (Meerut)

आज्ञा से

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)